दावते चहलुम

आला हज़रत इमाम-ए-अहले सुन्नत
इमाम अहमद रज़ा
रदियल्लाहो तआला अन्हो



सुवम व चहलुम वगैरा में आम दावत

का शरई हुक्म

• यानी •

جلی الصوت لنهی الدعوۃ امام الموت

का हिन्दी तरजमा

١٣١٠ھ

दावते चहलुम

: तसनीफ़ :

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ

फ़ाज़िले बरेलवी

-: बफ़ैज़ :-

हुज़ूर मुफ़्तिए अअ़्ज़म हज़रत अल्लामा शाह मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी नूरी (अलैहिर्रहमा)

मुजद्दिदे आज़म

अज़ :- हज़रत मौलाना नईमुद्दीन रिज़वी साहब (मुबल्लीगे दावते इस्लामी नागपूर)

सरकारे दो जहाँ हबीबे परवरदीगार रसूले करीम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ने इरशाद फ़रमाया ------------------------

إن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

अल्लाह तआला इस उम्मत के लिए हर सदी के सिरे पर "मुजद्दिदे दीन" भेजता रहेगा ।

(अबूदाऊद शरीफ़, तबरानी शरीफ़ व बयहकी शरीफ़)

क्या आप जानते हैं ? -------- हमारा वेह मुजद्दिद ! -----------इस सदी का मुजद्दिद --------!!

येह वोह मुबारक हस्ती है जिसको खुदावंदे क़ुद्दुस ने सिर्फ़ दीन की हिमायत व अशाअ़त के लिए इस ज़माने में पैदा फ़रमाया ----------- शव्वाल 1272 हिजरी में जिसकी विलादत हुई ------------जिसने सिर्फ़ 8 साल की उम्र में ہدایۃ النحو की शरहे लिखी ----------दस साल की उम्र में مسلم الثبوت पर हाशिया लिखा ----- जो सिर्फ़ 13 साल की उम्र में मुफ़्ती होकर अपने कलम से दुनियाए इल्म व फ़न में अपना लोहा मनवा लेता है ----------- जो मुफ़्ती इरशाद हुसैन साहब रामपूरी— علیہ الرحمۃ —जैसे अज़ीम मुफ़्ती का फ़तवा खिलाफ़ें हकीक़त होने पर --- لیس بصواب ------- (यानी येह फ़तवा सही नहीं) का फ़ैसला सुनाता है ------- और ऐसा तहकीक़ी जवाब लिखता है के उलमा उसके क़लम को खिराजे तेहसीन पेश करते हैं -------- जिसे 1294 हिजरी में सैय्यद शाह आले रसूल मारहरवी علیہ الرحمۃ की तरफ़ से बैत व खिलाफ़त के साथ येह तमग़ा अता होता है --------- "अगर खुदा मुझ से पूछे के अए आले रसूल तू दूनिया से क्या लाया तो मैं अपने इस------ मुरीद को पेश कर दूंगा" ------------- जब येह शख़्स मक्का मुकर्रमा हाज़िर होता है ---------उस के चहरे पर इमामुलवक्त इमामे शाफ़िया आरिफ़ बिल्लाह हज़रत हुसैन बिन सालेह, की आँखें जम जाती है --------और वोह पूकार उटते है ----- "إني لأجد نور الله في هذا الجبين" ----------(मैं इस शख़्स की पेशानी से अल्लाह का नूर झलकता पा रहा हूं) ---------- और

इल्म व फ़न के अज़ीम हकीकत शनास पूकार उठते हैं ------------ हॉ, हॉ गौर से सूनो ---------- "اِنَّہ وَحِیدُ العصرِ بلا منازِعٍ و مجدّدُ ھذا القرنِ بلا ارتیاب" ---------- (यकीनन येह अज़ीम शख़्स है और बेशक येह इस सदी के मुजद्दिद हैं) ------------ जहॉ दूसरो की समझबूझ जबाव दे देती हैं ------------ और क़लम की रफ़्तार थम जाती हैं -------- और मजबूरन वोह कह उठते हैं -------- येह मस्अला हमारे बस का नहीं ---------अभी हमें और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है ----------- इस मस्अले पर हम गौर कर रहे है ------ और फिर गौर ही करते रह जाते है और मस्अला हल नहीं कर पाते ------- उस मकाम से येह शख़्स अपनी इब्तेदा (शुरूवात) करता है और ------------ "کفل الفقیہ الفاھم فی احکام قرطاس الدراھم" --------- जैसी किताबे लिख कर अकाब़िरे उलमा की ऑखे टंडी करता है --------- और दुश्मनों को उनक हकीकत नज़र आने लगती हैं ------------/

बातील फ़ितने सर उठाते हैं ---------- तो वोह अपने कलमी जिहाद से उन्हें हमेशा के लिये बे नकाब कर देता है ---------- और—"حسام الحرمین"लिखकर उन्हें उनका असली चेहरा दिखा देता है ----------- जब रसूल के इल्म पर झूटे मक्कार एतराज़ करते हैं ----------- तो"الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ" जैसी 400 सफ़े की किताब सिर्फ़ 8 घंटे में लिखकर उन्हें उमेशा के लिये खामूश कर देता है ----------- देखो, सुनो -------- येह कैसी सदा गुंज रही है ----------- ع

किल्के रज़ा है खन्जरे खूँखार बर्क बार !
आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे !

क्या अब भी तूमनें न जाना ----------- हम बतातें हैं --------- सूनो --------- उस शख़्स के दादा मौलाना मुहम्मद रज़ा अली खाँ علیہ الرحمۃ हैं जो अपने वक़्त के इमाम थे ------------- "خطبِ علمی"---जिनकी मशहूर किताब है ----------- हॉ, हॉ येह वही शख़्स है जिसके वालिद मौलाना नकी अली खॉ थे ------------ जो मस्नदे शरीअत पर जब रौनक अफ़रोज़ हुए तो ------------- उन्होंने अपने मुबारक अहेद में इल्मी दूनिया पर बड़े बड़े ऐहसान किये --------- और अपने बाद दुनिया-ए-इस्लाम की रहनुमाई के लिये अपने इस साहबज़ादे को छोड़ा ------- जो इल्म का समन्दर था ---------- गर्ज़ के

येह इल्म व हुनर का समन्दर 54 साल तक मौजे लेता रहा ---------- और 25 सफ़र 1340 हिजरी को जुमा के दिन ऐन अज़ाने जुम्अ बरेली में ---------- "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ" ----- की सदा गुंजी ------------ उस शख़्स ने अपने रब को لَبَّيْكَ कहाँ ----------- और दूसरी तरफ़ कच्छोछा मुकद्दसा में ----------- शहज़ादाहे सिमना औलादे गौसे आज़म शेख़ूल मशाएख हुसैन बिन अली सरकार अशरफ़ी عليه الرحمه की ज़बान से निकला ----------- "कुतबुल इरशाद का जनाज़ा फ़रिश्तों के काँधों पर देख रहा हूँ" ------------

उस शख़्स को गुज़रे हुए आज तकरीबन 75 साल हो रहें हैं उस अज़ीम शख़्स ने हम कम इल्मों के लिये तकरीबन 55 उलूम व फ़ुनून पर 1300 किताबे अपनी यादगार छोड़ी हैं ----------- और आज भी वोह बरेली की सर ज़मीन से हमारी दस्तगीरी कर रहा है --------- क्या तुमने जाना वोह मुजद्दिद कौन है ----- अब भी नही ! ---------- हम बताऐं ----------हाँ, हाँ सुनो --------- ब गौर सुनो ------------ हमारा मम्दुह --------- हमारा मुजद्दिद ----------- सब का मुजद्दिद --------- तुम भी कहों और कहते रहो ---------- हमारा मुजद्दिद, मुजद्दिदे आज़म ---------- इमामे अहले सुन्नत, अज़ीमुल बरकत, इमामुल हुदा, अब्दुल मुस्तफ़ा, आला हज़रत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खाँ फज़िले बरेलवी । رَضِيَ اللهُ الْمَوْلٰى تَعَالٰى عَنْهُ

कुछ किताब के बारे में

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ (رضی اللہ عنہ) ---------- ने मुसलमानों के दिल में अज़मते मुस्तफ़ा-(صلی اللہ علیہ وسلم)—— का नक़्श जमाया।

उनकी क़िताबों में इश्क़े रसूल का ज़िक्र इस तरह समाया हुआ है जैसे बदन में रूह। वोह एक आशिक़े रसूल की हैसियत से जाने पहेचाने जाते हैं। आला हज़रत ने अपनी सैकड़ों किताबों में हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم के मुख़्तलिफ़ क़मालात को उजागार किया हैं। वोह मुहब्बते रसूल को ईमान की जान और मुहब्बते औलिया को ईमान की बहार समझते थे।

इमाम अहमद रज़ा खाँ हर बिदअ़ती और बदअकीदा को काफ़िर व मुशरिक से ज़्यादा खतरनाक समझते थे आला हज़रत अकीदए तौहीद के ज़बरदस्त अलम बरदार थे। आला हज़रत के नज़दीक शरीअत के अलावा तमाम राहें मरदूद और झूटी थी।

आला हज़रत हर उस शख़्स को जो दीन में नई नई बातें दाखिल करता हैं, बिदअती करार देते थे। और उसकी इसलाह की हर मुमकिन कोशिश फ़रमाते। आपनें इस मकसद के लिये कई किताबे लिखी उन में से चंद के बारे में हम यहाँ लिख रहें हैं।

1) जो लोग तरीक़त का नाम लेकर शरीअत के ख़िलाफ़ हरकते करते हैं और शरीअत का मज़ाक उड़ाते हैं उनके ख़िलाफ़ आपने "مقال عرفا باعزاز شرع وعلما" नामी किताब लिखी।

2) कब्रों व मज़ारात पर सजदा-ए-तअज़ीम के ख़िलाफ आपने एक ख़ास क़िताब "الزبدة الزکیہ لتحریم سجود التحیہ" नामी क़िताब लिखी।

3) ग़ैर मेहरम पीरो को मेहरम समझकर औरतों का उनके सामने आना आम है आला हज़रत ने इस बिदअत के ख़िलाफ "مروج النجا لخروج النسا" ———— नामी किताब लिखी।

4) आला हज़रत औरतों के मज़ाराते औलिया पर जाने के सख़्त खिलाफ़ थे और इसे ना जाइज़ समझते थे इस बारे में आपने "جمل النور فی نھی النساء عن زیارۃ القبور" किताब लिखी।

5) मुसलमानों में फ़तेहा, सुवम, चहलुल, बरसी वगैरा का रिवाज आम हैं आला
——— ——— ——— ——— ——— —
—— —— ——— ——— ——— ——— ——— — ——
हज़रत ने इसे जाइज़ क़रार दिया लेक़िन उसमें गैर ज़रूरी बातों को बे अस्ल और गलत बताया और उसकी इस्लाह के लिये "الحجۃ الفائحۃ لطیب التعین والفاتحۃ" रिसाला लिखा ।

6) मौसीक़ी (Music) के साथ मज़ारों पर क़व्वालियाँ होती हैं उसके नाजाइज़ व हराम होने में — مسائل سماع — नामी क़िताब लिखी ।

7) कब्रों पर लूबान, अगरबत्ती वगैरा जलाने और कब्र पर इत्र वगैर ड़ालने को आपने मना फ़रमाया और इसे माल की बरबादी करार दिया (इस मुतअल्लिक़ "فتاوی رضویہ" का मुतअला करें)

8) शादीयों में जो गैर शरई रस्में होती हैं उसके खिलाफ़ आपने "ھادی الناس فی رسوم الاعراس" नामी किताब लिखी ।

गर्ज़ के इस तरह की सैकड़ो किताबे हैं जो आपने मआश्रे की इस्लाह और बिदअतों के रद में लिखी ।

ज़ेरे नज़र किताब — "جلی الصوت لنہی الدعوۃ امام الموت" (दावते चहलूम) मैय्यत के घर में औरतों और मर्दो के जमा हो कर खाने पीने और मैय्यत के घर वालों की तरफ़ से सुवम व चहलुम वगैरा के दिन खाना पका कर दावत करने के खिलाफ़ है ।

येह क़िताब आला हज़रत ने एक सवाल के जवाब में 1310 हिजरी में यानी आज सें 108 साल पहले लिखी थी । इस किताब में सुवम व चेहलुम के रोज़ दावत करने के खिलाफ़ अहादीस व उलमा-ए-दीन की क़िताबों से साबित किया हैं कि येह हरगिज़ हरगिज़ शरीअत में जाईज़ नहीं । हाँ अगर गरीबों और मोहताजों के लिये खाना पक्वा कर ख़िलाए तो कोई हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है ।

आज कल देखा जा रहा है कि लोग सुवम व चहलुम बड़े धुमधाम से करते हैं और कुछ जगह तो लोग बड़े फ़ख्र व गुरूर से कहते भी हैं के फ़ला का चहलुम इत्नी शान व शौकत से हुआ और समझते हैं कि इससे मुर्दे को ज़्यादा सवाब मिलता है । हालाँकि सवाब तो दूर इस रस्म की इस्लाह

में कोई अस्ल तक नहीं ।

इस किताब का हिन्दी तरजमा इस नियत से कि लोग इसे पढ़ कर

- -

अपनी इस्लाह़ करें और गैर शरई रस्मों से बचें, पेश किया जारहा हैं । नाचीज़ की हमेशा से कोशिश रही है के आला ह़ज़रत की किताब के तरजमे को आसान ढ़ग में इस अंदाज से पेश किया जाए की आला ह़ज़रत का अंदाज़ भी बरकरार रहे और तरजमा भी हो जाए । अगर किसी को कोई ख़ामी नज़र आए तो ज़रूर हमें बताए ताकि गलती को अगले एड़ीशन में दूर किया जा सके । मुझे उम्मीद हैं की इस क़िताब को आप सब अहबाब ज़रूर पसंद फ़रमाएगे ।

नाचीज़ को दुआओ में याद रखे । मौला तआला हमारी इस अदना सी ख़िदमत को कुबूल फ़रमाए । आमीन ।

नाचीज़

सगे रज़ा

मुहम्मद फ़ारूक खॉ अशरफी रिज़वी

جلى الصوت لنهى الدعوة امام الموت

बुलन्द आवाज़————मौत के बाद दावत की मुमानिअत में

मस्अला

क्या फ़रमाते हैं उलमा-ए-दीन इस मस्अले में के हिन्दूस्तान के अक्सर शहरो में रस्म हैं कि मैय्यत के रोज़ वफ़ात (मौत) से उस के (यानी मैय्यत के) रिश्तेदार व अक़ारिब व अहबाब की औरतें मैय्यत के यहाँ जमा होती हैं उस इन्तेज़ाम के साथ जो शादियों में किया जाता हैं। फिर कुछ दूसरे दिन, अक्सर तीसरे दिन वापस आती हैं, कुछ चालीसवें तक बैठती हैं इस ठेहरने की मुद्दत में औरतों के खाने,पीने, पान छालिया का इन्तेज़ाम अहले मैय्यत (मैय्यत के घर वाले) करते हैं। जिस की वजह से एक बड़ी रकम का बोझ उन पर होता है अगर उस वक़्त हाथ खाली हो तो इस ज़रूरत से कर्ज़ लेते हैं यूँ न मिले तो सूदी (बयाज) निकलवाते हैं। अगर न करें तो मतऊन (रूसवा) व बदनाम होते हैं। येह शरअन जाइज़ हैं या क्यॉ ?

अलजवाब

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَرْسَلَ نَبِیَّنَا الرَّحِیْمَ الْعَفُوْرَ ؛ بِالرِّفْقِ وَالتَّیْسِیْرِ وَاَعْدَلَ الْاُمُوْرَ ؛ فَسَنَّ الدَّعْوَۃَ عِنْدَ السُّرُوْرِ دُوْنَ الشُّرُوْرِ ؛ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَبَارَکَ عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہِ الْکِرَامِ وَصَحْبِہِ الصُّدُوْرِ ؛

سبحان اللہ! ! अए मुसलमान ! येह पूछता है जाइज़ है या क्या ! यूँ पूछ के येह नापाक रस्म कित्नी बुरी और शदीद (सख़्त) गुनाहो, सख़्त बुरी खराबियों पर मुश्तमिल (शामिल) हैं।

1

येह दावत खूद ना जाइज़ व खराब व बुरी बिदअत है। "इमाम अहमद" अपनी मुस्नद और " इब्ने माजा" सुनन में सही सनद (सुबूत) के

साथ हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजाली —رضی اللہ تعالیٰ عنہ— से रिवायत करते है--------

كُنَّا نَعُدُّ الْاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النِّيَاحَةِ ٥

"हम गिरोहे सहाबा (यानी सहाबा का गुरूप) मैय्यत वालो के यहाँ जमा होने और उनके खाने तैयार कराने को मुर्दे का नोहा व मातम समझते थे ।"(मैय्यत के घर वालो का खाना पका कर खिलाना) जिस के मना होने पर बहुत सारी लगातार हदीसे सुबूत हैं ।

① इमाम मोहकिक अलल इतलाक, "फ़तहुल कदीर शरहे हिदाया" में फ़रमाते हैं ----------

يُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُوْرِ لَا فِي الشُّرُوْرِ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ

अहले मैय्यत (मैय्यत के घर वालो) की तकरफ़ से खाने की दावत करना मना है के शरअ (शरीअत) ने दावत खूशी में रखी है न के गमी में और येह बहुत बुरी बिदअ़त हैं ।

② इसी तरह अल्लामा हसन शुरूनुबलानी ने "मराकियुल फ़लाह" में फ़रमाया-------

يُكْرَهُ الضِّيَافَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي السُّرُوْرِ لَا فِي الشُّرُوْرِ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ ۔

"मैय्यत वालो का खाने की दावत करना मकरूह है इस लिए के दावत खूशी में मश्रू (शरीअत के मुताबिक) है न के गमी में और येह बुरी बिदअत है"

③ से ⑧ तक :- "फ़तावा खुलासा" व "फ़तावा सिराजिया" व "फ़तावा ज़हीरिया" व "फ़तावा तातारखानिया" और "फ़तावा ज़हीरिया" से "खज़ानतुल मुफ़्तीन क़िताबुल कराहिया" और "तातारखानिया से फ़तावा हिन्दीया" में मिले जुले अलफ़ाज़ से है ---------- وَاللَّفْظُ لِلسِّرَاجِيَّةِ

لَا يُبَاحُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ عِنْدَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِى الْمُصِيْبَةِ ۔ (زَادَ فِى الْخُلَاصَةِ) لِاَنَّ الضِّيَافَةَ تُتَّخَذُ عِنْدَ السُّرُوْرِ۔

गमी में येह तीसरे दीन की दावत जाइज़ नही (खुलासे में इत्ना ज़्यादा है) के दावत तो खूशी मे होती है

(9) "फ़तावा इमाम काज़ी खॉ" "क़िताबुल हज़्रे वल एबाह में है --------

يُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ فِى اَيَّامِ الْمُصِيْبَةِ لِاَنَّهَا اَيَّامُ تَاَسُّفٍ فَلَا يَلِيْقُ بِهَا مَا يَكُوْنُ لِلسُّرُوْرِ۔

———— गमी में दावत मना है के येह अफ़सोस के दिन है तो जो खूशी में होता है इन के लाएक नही"

(10) "तबैय्युनुल हिक़ाएक़ इमाम ज़ैली" में है -------

لَا بَأْسَ بِالْجُلُوْسِ لِلْمُصِيْبَةِ اِلٰى ثَلٰثٍ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَحْظُوْرٍ مِنْ فَرْشِ الْبُسُطِ وَالْاَطْعِمَةِ مِنْ اَهْلِ الْمَيِّتِ

मुसीबत के लिए तीन दिन बैठने में कुछ हर्ज नहीं जब के किसी ऐसे काम को न किया जाए जो शरीअत मे मना हो जैसे तकलीफदह काम, फर्श (गद्दे, सतरंजी वगैरा) बिछाने और मैय्यत की तरफ़ से खाने (वगैरा)

(11) इमाम बज़्ज़ाज़ी "वजीज़" में फ़रमाते है -----------

يُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الْاُسْبُوْعِ ۔

यानी मैय्यत के (बाद) पहले या तीसरे दिन या हफ़ता के बाद जो खाने तैयार कराए जाते है सब मकरूह व मना है !

(12) (13) अल्लामा शामी "रददुल मोहतार" में फ़रमाते है ------

اَطَالَ ذٰلِكَ فِى الْمِعْرَاجِ وَقَالَ هٰذِهِ الْاَفْعَالُ كُلُّهَا لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ فَيُحْتَرَزُ عَنْهَا ۔

यानी "मैराजुलदराया शरहे हिदाया" ने इस मस्अले मे बहुत कुछ लिखा और फ़रमाया येह सब नामवरी और दिखावे के काम है इस से परहेज़ किया जाए ।

(14) (15) "जामेऊल रूमूज़" अख़िरूल कराहिया में है -----------

يُكْرَهُ الْجُلُوْسُ لِلْمُصِيْبَةِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَقَلَّ فِى الْمَسْجِدِ وَيُكْرَهُ ...

यानी तीन दिन या कम, तअज़ियत (पुरसा) लेने के लिए मस्जिद

में बैठना मना है और उन दिनों में ज़ियाफ़त (दावत) भी मना और उस का खाना भी मना जैसा के "खैरातिल फ़तावा" में साफ़ बयान किया गया है

الضیافۃ فی ھذہ الایام وکذا
اکلھا کما فی خیرۃ الفتاوی

(16) (17) और "फतावा अनकरावी" और "वाकेआतुल मुफ़्तीन" में है -----

तीन दिन दावत और उस का खाना मकरूह है के दावत तो खूशी में जाइज़ हुई है ।

یکرہ اتخاذ الضیافۃ ثلثۃ ایام
واکلھا لانھا مشروعۃ للسرور۔

(18) "कशफ़ुल गता" में है --------

मैय्यत वालो का तअज़ियत (पुरसा) करने वालो के लिए दावत करना और उन के लिए खाना पक़ाना मकरूह है तमाम रिवायात इस पर मुत्तफ़िक (हम ख़्याल) है इस लिए के उन लोगों को मुसीबत ज़दह होने की वजह से खाना तैयार करना दुश्वार (मुश्किल) है ----------

ضیافت نمودن اہل میت اہل تعزیت را
وپختن طعام برائے آنہا مکروہ است
باتفاق روایات، چہ ایشاں را بسبب
اشتغال بمصیبت استعداد وتہیہ آں
دشوار است۔

उसी में (यानी "कशफ़ुल गता" में) है -------

तो येह जो रिवाज पड़ गया है के मुसीबत वाले (यानी मैय्यत के घर वाले) सुवम के दिन खाना पक़ाते है और तअज़ियत (पुरसा) करने वालो और दोस्तो को खिलाते है येह ना जाइज़ और गैर शरई है । और "खज़ानतुल मुफ़्तीन" में इस बारे में तफ़सील से है क्यों के येह इस वजह से ममनुअ (मना) है ।------

پس آنچہ متعارف شدہ از پختن اہل مصیبت
طعام را در سوم وقسمت نمودن آں میان
اہل تعزیت واقران غیر مباح ونامشروع
است وتصریح کردہ بداں در خزانہ چہ
شریعت ضیافت نزد سرور است نہ نزد شرور
وھو المشھور عند الجمھور

कि दावत खूशी के वक्त जाइज़ है न के गमी के वक़्त और यही वजह तमाम

(उलमा) के नज़दीक मशहूर है ----------।

2

गलेबन वारिसों में कोई यतीम या और बच्चा ना बालिग होता है या और वारिस मौजूद नहीं होते न उन से इजाज़त ली जाती हैं जब तो येह काम सख़्त हराम में शामिल होता है ।

अल्लाह —عَزَّوَجَلَّ— फ़रमाता हैं ----------

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

तरजमा :- बेशक जो लोग यतीमों के माल ना हक खाते हैं बिलाशुबा वोह अपने पेट में अंगारे भरते है और करीब है के जहन्नम के गेहराओं में जाएगें 1

गैर के माल मे बगैर उस की इजाज़त के अपने इख़्तेयार में करना खूद ना जाइज़ हैं ।

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, फ़रमाता है----

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

तरजमा :- और आपस में एक दूसरे का माल ना हक न खाओ 2

खासकर ना बालिग का माल बरबाद करना, जिस का इख़्तेयार न खूद उसे है, न उस के बाप, न उस के वसी 3 को لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلنَّظَرِ لَا لِلضَّرَرِ وَعَلَى الْخُصُوصِ और अगर उन में कोई यतीम हुआ तो आफ़त सख़्त तर है ।

——— وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ———

हॉ अगर मोहताजो के देने को खाना पक़वाऐं तो हर्ज नही बल्कि खूब (अच्छा) है - बशर्त येह के कोई आकिल, (समझबुझ वाला) बालिग अपने माले खास से करे या तुरके (जाएदाद के हिस्से) से करे तो सब वारिस मौजूद हो व बालिग व राज़ी हो ।

① से ④ तक :- "खानिया" व "बज़्ज़ाज़िया" व "तातारखनिया" व "हिन्दया" में है ------------

1 पारा 4 रूकू 12 सूरए "निसा", 2 पारा 2 सुरए बकर,
3 जिस के बारे मे मरने वाला वसीयत कर गया हो ! फ़ारूक !

إن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين وإن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة.

अगर गरीबों के लिए खाना तैयार किया तो अच्छा है जब के तमाम वारिस बालिग हो और अगर वारिसों में कोई बच्चा हो तो तुरके (जाएदाद) से खाना न तैयार कराए ।

(5) और "फ़तावा काज़ी खाँ" में है ------------

إن اتخذ ولي الميت طعاما للفقراء كان حسنا إلا أن يكون في الورثة صغير فلا يتخذ ذلك من التركة

अगर मैय्यत का वली (सरप्रस्त) मोहतजो के लिए कुछ खाना तैयार करे तो बेहतर है मगर येह के वारिसों में कोई ना बालिग हो तो तुरके (मैय्यत के छोड़े हुए माल) से ऐसा न करें ।

3

येह औरतें के जमा होती हैं नाजाइज़ काम करती है मसलन चिल्ला कर रोना, पीटना, बनावट से मुँह ढाँकना إلى غير ذلك और येह सब नियाहत (नोहा व मातम) है और मातम व नोहा हराम है ऐसे मजमे के लिए मैय्यत के अज़ीजो और दोस्तों को भी जाइज नही के खाना भेजे गुनाह की इम्दाद (मदद) होगी

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है ----

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

तरजमा :- "और गुनाह और ज़्यादती पर बाहम मदद न दो ।"

न के अहले मैय्यत का खाने का इन्तेज़ाम करना के सिरे से ना जाइज़ है तो उस नाजाइज़ मजमे के लिए ज़्यादा ना जाइज़ होगा ।

"कशफ़ुल गता" में है -----

ساختن طعام در روز ثانی وثالث برائے اہل میت اگر نوحہ گران جمع باشند مکروہ است بزیرا کہ اعانت است ایشاں را بر گناہ -

दूसरे और तीसरे दिन मैय्यत वालो का खाना बनाना जब के नोहा (सेना पीटना) करने वालो का मजमा हो तो मकरूह है इस लिए के उन की

गुनाह पर मदद करना है ।

4

अक्सर लोगों को इस बुरी रस्म की वजह से अपनी ताकत से ज़्यादा दावत करनी पड़ती है ।-यहॉ तक कि मैय्यत वाले बेचारे अपने गम को भूल कर इस आफ़त में मुब्तेला (फँसे) होते हैं के इस मेले के लिए खाना, पान, छालिया कहॉ से लाऐं और कई बार ज़रूरत कर्ज़ लेने की पड़ती है । ऐसा तकल्लुफ़ शरीअत को किसी मुबाह काम (जिस के करने से न गुनाह हो न सवाब उस) के लिए भी बिल्कुल पसंद नहीं न के एक ममनुअ (मना की हुई) रस्म के लिए । फिर इस की वजह से जो दिक्कते पड़ती है खूद ज़ाहिर है फिर अगर सूद पर कर्ज़ लिया तो खालिस हराम हो गया और मआज़ल्लाह लअ़नते ईलाही से पूरा हिस्सा मिला के बे ज़रूरते शरईया सूद देना भी सूद लेने की तरह लअ़नत का सबब है जैसा के सही हदीसों में फ़रमाया (गया हैं)

गर्ज़ इस रस्म के बुरे व मना होने में शक़ नहीं-अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मुसलमानों को तौफ़ीक बख़्शे के बिल्कुल ऐसी बुरी रस्में जिन से उन के दीन व दुनिया का नुकसान हैं तर्क करदें (छोड़ दें) और (लोगों के) बेहुदह तअ़नो का लिहाज़ न करें (अल्लाह हिदायत फरमाए) واللہ الہادی -

तमबीह (नसीहत) :- गरचा सिर्फ़ एक दिन यानी पहले ही रोज़ अज़ीज़ों पड़ोसियों को बेहतर हैं कि मैय्यत के घर वालों के लिए खाना पक़वा कर भेजे जिसे वोह दो वक़्त खा सकें । और —— इसरार करके उन्हें खिलाए मगर येह खाना सिर्फ मैय्यत के घर वालों ही के काबिल होना सुन्नत है इस मेले के लिये भेजने का हर्गिज़ हुक्म नहीं, और उन के (यानी मैय्यत के घर वालों) के लिए भी सिर्फ एक रोज़ (खाना भेजने) का हुक्म है आगे नही ।

“कशफ़ुल गता” में है - -- -

मुस्तहब (अच्छा) है के मैय्यत के करीबी और पड़ोसी लोग खाना खिलाऐं जो के उन्हें एक दिन रात के लिए काफ़ी हो और कोशिश करके उन को खिलाऐं और मैय्यत के घर वालों के अलावा

مستحب است خویشاں و ہمسایہائے
میت را کہ اطعام کنند طعام را برائے اہل وے کہ
سیر کنند ایشاں را یک شبانہ روز و الحاح
کنند تا بخورند و در خوردن غیر اہل میت ایں طعام

دوسرو کو یہ کھانا مکروہ ہے ۔ | راشتہور آنست کہ مکروہ است اھ ملخصا

"आलमगीरी" में है ---------------

حمل الطعام الی صاحب المصیبۃ والاکل معھم فی الیوم الاول جائز لشغلھم بالجھاز وبعدہ یکرہ کذا فی التتارخانیۃ

अहले मुसीबत (मैय्यत वालों) की तरफ़ खाना ले जाना और उन के साथ मिल कर खाना पहले दिन जाइज़ है । उन के कफ़न दफ़न के कामों में मश्गूल हाने के सबब, और उस के बाद मकरूह है इसी तरह तातारखनिया में है ।

واللّٰہ تعالٰی اعلم و علمہ جل مجدہ اتم و احکم

मुहम्मदी सुन्नी हनफ़ी कादरी
अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा ख़ाँ

کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا عفی عنہ بمحمدن المصطفٰی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم

मस्अला

मैय्यत के घर का खाना जो मैय्यत के घर वाले बतौरे मेहमानी के पकाते हैं और सुवम के लिए बताशों का लेना कैसा है ?

अलजवाब

मैय्यत के घर का वोह खाना तो अलबत्ता बेशक ना जाइज़ है जैसा के फ़कीर ने अपने फ़तवे मे तफ़सील से बयान किया । और सुवम के चने, बताशे के मेहमानी की गरज़ से नही मँगाए जाते बल्कि सवाब पहुँचाने के मकसद से होते हैं येह इस हुक्म में दाखिल नही न मेरे उस फ़तवे में इन की निस्बत (बारे में) कुछ ज़िक्र है । येह अगर मालिक ने सिर्फ़ मोहताजो को देने के लिए मँगाए और यही उस की नियत है तो गनी (जो मोहताज न हो उस) को उन का भी लेना ना जाइज़ । और अगर उसने आम हाज़रीन पर तकसीम (बाँटने) के लिए मॉगाए है तो अगर गनी (रूपये पैसे वाला) भी ले लेगा तो. गुनाहगार न होगा ।

और यहाँ (यानी हिन्दुस्तान में) आम तौर पर रिवाज येह हैं कि आम हाज़रीन के लिए मँगाए जाते है इस लिए हुक्म येही हैं के वोह खास————

——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———

मोहताजो के लिये नहीं होते तो गनी को भी लेना नाजाइज़ नही । अगरचा बचना ज़्यादा पसंदीदा (है) और इसी पर हमेशा से इस फ़कीर का अमल है (फतावा-ए-रिज़वीया, जिल्द 4 सफा नं. 138) واللہ تعالیٰ اعلم

मस्अला

अज़ :- बनारस थाना भेलूपूरा मोहल्ला अहाता रूहेला, मुरसिला हाफ़िज़ अब्दुल रहमान रफूगर - 28 मुर्हरम 1332

हज़रत की खिदमत में अर्ज़ हैं कि बुज़ुर्गो के मज़ार जाऐं तो फ़ातेहा किस तरह पढ़ा करें और फ़ातेहा में कौन कौन चीज़ें पढ़ा करें ।

अलजवाब

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۰ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

हाफिज़ साहब, करम फ़रमा सल्लमाकुम

मज़ाराते शरीफ़ा (बुज़ूर्गो की मज़ार) पर हाज़िर होने में पाएँती की तरफ़ से जाए और कम अज़ कम चार हाथ के फ़ासले पर मुवाजहे (मज़ार के सामने) में खड़ा हो और आहिस्ता आवाज़ से बअदब सलाम अर्ज़ करे اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ फिर दुरूदे गौसिया तीन बार, اَلْحَمْد شَرِيْف (अलहम्द शरीफ) एक बार, आयतल कुर्सी एक बार, सूरऐ इख़्लास सात बार, फिर दुरूदे गौसिया सात बार और वक़्त फ़ुरसत दे तो सूरए यासीन और सूरए मुल्क भी पढ़ कर अल्लाह अज़्ज व जल्लाह से दुआ करे के इलाही इस पढ़ने पर इत्ना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है न के इत्ना जो मेरे अमल के काबिल है और इसे मेरी तरफ़ से इस बन्दाए मकबूल को नज़्र पहुँचा फिर अपना जो मतलब जाइज़ शरई हो उस के लिए दुआ करे और साहिबे मज़ार की रूह को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में अपना वसीला करार दे, फिर उसी तरह सलाम कर के वापस आए -----मज़ार को न हाथ लगाए ---- न बोसा— दे (यानी मज़ार को न चूमे) ----और तवाफ़ बिल इत्तेफाक (यानी

तमाम बुज़ुर्गों व अुलमा के नज़दीक) ना जाइज़ है --------- और सजदा (चाहे तअज़ीम की नियत से ही क्यों न हो) हराम है । والله تعالیٰ اعلم

मैय्यत के फ़ायदे के चन्द काम

इस किताब में आला हज़रत ने दलाएल से साबित कर दिया के मैय्यत के लिए खाना पकाना और येह धूम धाम से दावत करना बे फुज़ूल और ना जाइज़ व पैसो की बरबादी हैं और इस से मैय्यत को बिल्कुल कोई सवाब नही पहुँचता । मुमकिन है आप के ज़हेन में येह बात आई हो कि अब हम आखिर अपने मुर्दो के लिए इस के अलावा क्या कर सकते हैं और उन्हें किस तरह एसाले सवाब पहुँचाए ---------

लिहाज़ा हम यहाँ अव्वाम की आसानी के लिए चन्द ऐसे तरीके बयान करते हैं जो इस दुनिया से जाने वाले मुसलमानों के लिए तोहफ़ए आखेरत ही नही बल्कि दीने इसलम की तबलीग और इस्लामी अहकाम की अशाअत का भी बेहतरीन ज़रिया और सदकाए जारिया है -------

1) किसी दीनी मदरसे में एसाले सवाब की नियत से कुछ रकम दे दें ।
2) किसी दीनी गरीब तालिबे इल्म की इमदाद करे जसै उस के खाने, कपड़े और किताबों का इन्तेज़ाम कर दें ।
3) दीनी किताब छपवा कर मुफ़्त तकसीम करे जिस से मआशेरे की इस्लाह हो
4) किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दें ।
5) किसी गरीब बेवाह की माली इमदाद करें ।
6) उलमा-ए-दीन की तकारीर करवाते रहे ।
7) किसी मस्जिद, मदरसे की तामीर में हिस्सा ले कर ।
8) जिस जगह पानी की किल्लत हो वहाँ कुआ या बोरवेल खुदवा कर ।
9) मस्जिद की ज़रूरतों को पूरा करके ।
10) नमाज़ रोज़ा व नफ़िल इबादात का सवाब अपने मुर्दो को नज़्र करते रहें
11) और अगर खाना ही पकाना है तो उसे सिर्फ़ गरीबों मोहताजो को ही खिलाऐं ।

इन तमाम तरीको में से किसी भी तरीके पर अमल कर के इस का सवाब अपने मरहूमिन को पहुँचा सकते है ।

दुआए रज़ा

अज़ :- आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हो

या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो
जब पड़े मुशकिल शहे मुशकिल कुशा का साथ हो

या इलाही भूल जाऊँ नज़्अ की तकलीफ़ को
शादीए दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो

या इलाही जब ज़बानें बाहर आयें प्यास से
साहेबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो

या इलाही गरमीए मैहशर से जब भड़के बदन
दामने महबूब की ठण्डी हवा का साथ हो

या इलाही नामाऐ आमाल जब खुलने लगे
ऐब पोशे खल्के सत्तारे खता का साथ हो

या इलाही जब बहे आँखे हिसाबे जुर्म में
उन तबस्सुम रेज़ होंटों की दुआ का साथ हो

या इलाही रंग लाये जब मेरी बेबाकियाँ
उन की नीची नीची नज़रों की हया का साथ हो

या इलाही जब चलू तारीक राहे पुलसिरात
आफ़ताबे हाशमी नुरुल हुदा का साथ हो

या इलाही जब सरे शम्शीर पर चलना पड़े
रब्बे सल्लीम कहने वाले गम जुदा का साथ हो

या इलाही जो दुआऐं नेक मैं तुझ से करूँ
कुदसीयों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो

या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिराँ से सर उठायें
दौलते बेदारे इश्के मुस्तफा का साथ हो